न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही (राजस्थान)
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. राजेश गोयल, आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्याः 22/2022

अपीलार्थी

श्रीमती छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी पत्नी मोहनसिंह जी, जाति– राजपूत, निवासी– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही, हाल निवासी– वालु, तहसील– सिवाना, जिला– बाडमेर, वर्तमान में जिला– बालोतरा (राज.)

बनाम

प्रत्यर्थीगण

(1) प्रवीणसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(2) भगवतसिंह पुत्र श्री भंवरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवगंज
(3) श्रीमती कैलाशकुंवर पत्नी श्री भंवरसिंह, जाति– राजपूत, निवासी– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला सिरोही
(4) श्रीमती हुकमकुंवर पुत्री श्री लक्ष्मणसिंह पत्नी छैलसिंह जी, जाति–राजपूत, निवासी– बाकरा, तहसील– जालोर, जिला– जालोर
(5) भरतसिंह पुत्र श्री एवनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(6) करणसिंह पुत्र श्री एवनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(7) रतनसिह पुत्र श्री एवनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(8) श्रीमती गोपालकुंवर पत्नी श्री एवनसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तहसील– शिवंगज, जिला– सिरोही
(9) इन्दरसिंह पुत्र श्री हमीरसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(10) छैलसिंह पुत्र श्री देवीसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(11) दुर्गसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(12) राजेन्द्रसिंह पुत्र श्री तेजसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तह0 शिवंगज
(13) श्रीमती पुष्पेन्द्रकुंवर पत्नी श्री तेजसिंह, जाति–राजपूत, निवासी–पालडी एम., तहसील– शिवंगज, जिला– सिरोही
(14) श्रीमती विध्याकुंवर पुत्री तेजसिंह पत्नी राजेन्द्रसिंहजी, जाति–राजपुत, निवासी– कलाली, तहसील– रोहट, जिला– पाली
(15) श्रीमती सणगीदेवी पत्नी श्री हेमाराम, जाति– कुम्हार, निवासी– पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला–सिरोही
(16) हेमाराम पुत्र श्री धर्माराम, जाति– कुम्हार, निवासी–पालडी एम. तहसील–शिवगंज
(17) राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, शिवगंज, जिला सिरोही

"अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा, अपीलार्थी की ओर से
2. अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी, प्रत्यर्थी संख्या 9, 15 व 16 की ओर से
3. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी संख्या– 17 (सत्रह) की ओर से

–: निर्णय :– **दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील, सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांकःराजस्व/प्र.गां.सं./2021/15 दिनांक 10–11–2021 को निरस्त कराने हेतु प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत प्रस्तुत की गई है।

........पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला न्यायालय * सिरोही * राजस्थान

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थीगण को सम्मन जारी किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपील की सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी संख्या 9, 15 व 16 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र पुरी उपस्थित हुये एवं प्रत्यर्थी संख्या 17 (सत्रह) की ओर से पेरोकार सरकार उपस्थित हुये। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 8 व 10 से 14 को सम्मन की तामिल होने के बावजूद भी उपस्थित नही हुये।

(3) बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री देवडा ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों एवं विधिक दृष्टान्त माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी. सिविल रिट पीटीशन संख्याः 9194/2016 नारायण व अन्य बनाम पेपी देवी व अन्य में पारित निर्णय/आदेश दिनांक 17–2–2018 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 द्वारा स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांकःराजस्व/प्र.गां.सं/2021/15 दिनांक 10–11–2021 विधि एवं तथ्यों के विरुद्ध स्वीकृत किया गया है। अपीलाधीन बंटवाड स्वीकृति आदेश अपीलार्थी की अनुपस्थिति में एवं अपीलार्थी की सहमति के बिना ही प्रशासन गांव के संग अभियान के केम्प पालड़ी (एम) में स्वीकृत किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांव के संग अभियान में लोक अदालत की मंशा व उद्देश्य को समझने में भारी भूल की है। प्रशासन गांव के संग अभियान में पक्षकारान के मध्य सुलह या राजीनामा होने पर ही राजीनामा अनुसार उस प्रकरण का निस्तारण किया जाता है, जबकि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण के बीच किसी प्रकार की कोई सुलह या राजीनामा नही हुआ है और अधीनस्थ न्यायालय ने लोक अदालत के उद्देश्य के विपरित जाकर अपीलार्थी को न्याय प्राप्ति से वंचित करते हुए उक्त प्रकरण को शिविर में एकतरफा डिक्री बंटवाड कर प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करने में विधिक व कानूनी त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रशासन गांव के संग अभियान के केम्प में दोनो पक्षो को सुने बिना एकतरफा डिक्री व आदेश पारित कर अपीलार्थी की खातेदारी एवम् कब्जे काश्त की कृषि भूमि में मूल खसरा संख्या 28 गै.मु. बेरा प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 को दिलाये जाने का आदेश पारित किया हैं जो विधि सम्मत नही है। गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण केवल न्यायालय में ही हो सकता है। अपीलार्थी साक्षर महिला हैं तथा अपीलार्थी को शिविर में उपस्थित होने हेतु कोई सूचना नहीं होने से वह प्रशासन गांव के संग अभियान के उक्त शिविर में उपस्थित नहीं हो सकी थी। अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 16 के खातेदारी की कृषि भूमि के खसरा नम्बर 26, 27 व 28 हैं तथा इन्होंने अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 16 के खातेदारी की कृषि भूमि खसरा संख्या 28 गै.मु. बेरा को शामलाती नहीं रखकर भारी भूल कारित की है। उक्त तीनों खसरो का विभाजन सही ढंग से नहीं कर उक्त विभाजन गलत रुप से स्वीकृत किया गया है। कुंए की सम्पूर्ण भूमि प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 को बंटवाड में दी गई है, जबकि कुंआ सभी खातेदारों का शामलाती कुंआ था और उक्त कुंए में अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थीगण का समान रुप से बराबर बराबर हक हिस्सा था। तीनों खसरों का बंटवाड बाय मिट्स एण्ड बाउण्ड्स भी नहीं किया है। प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 ने राजस्व अधिकारियों के साथ मेलमिलाप कर खसरा संख्या 28 गै.मु. बेरा एवं उससे लगती हुई खसरा संख्या 26 एवं 27 कुंए के नजदीक की भूमि स्वयं ने ले ली है। कुआं एवं कुए के तीनों तरफ नजदीकी भूमि प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 ने ले रखी है जो कानूनन गलत है क्योकि अपीलार्थी को अपने कृषि भूमि में सिंचित करने हेतु कुंए का कोई भाग नहीं दिया है एवं न ही उसे आने जाने का रास्ता उपलब्ध करवाया है। अपीलार्थी को कुंए के हिस्से व सिंचाई हेतु पानी के उपयोग व उपभोग से वंचित कर दिया है। खसरा संख्या 28 में स्थित कुंए में विद्युत कनेक्शन भी लिया हुआ है। उक्त

......पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही *

कनेक्शन भी अपीलार्थी के पूर्वजों के नाम से संचालित है और जिसका बिल भी अपीलार्थी भरती है। उक्त कुए में अपीलार्थी व प्रत्यर्थी संख्या 01 से 04 एवं 05 से 08, प्रत्यर्थी संख्या 09, प्रत्यर्थी संख्या 10, प्रत्यर्थी संख्या 11 ता 14 एवं प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 का समान हक हिस्सा आता है और उक्त कुएं एवं उसमें उपलब्ध पानी का बराबर बराबर उपयोग उपभोग करने के हकदार है लेकिन प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16 ने राजस्व अधिकारियों एवं कर्मचारियों से मेलमिलाप कर अपीलार्थी की अनुपस्थिति में उसकी अनुमति व सहमति के बिना उसको बिना जानकारी दिये बाला बाला ही सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांवो के संग अभियान से कैम्प पालडी एम. में दिनांक 10—11—2021 को बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृत करवा दिया एवं तहसीलदार, शिवगंज ने बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व किसी प्रकार की कोई जांच व अपीलार्थी की सहमति के बिना ही बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने में भारी भूल कारित की है। दिनांक 10—11—2021 को तहसीलदार, शिवगंज द्वारा स्वीकृत बंटवाड आदेश व डिक्री में न्यायशुल्क की अपवंचना की गयी है, जबकि कृषि भूमि का विभाजन सहमति से किये जाने पर न्यायशुल्क रूपये 100/— का गैर न्यायिक स्टाम्प प्रस्तुत कर उस पर विभाजन डिक्री पारित किया जाना विधि अनुसार आवश्यक है। अधीनस्थ न्यायालय सहायक प्रभारी शिविर तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त सभी तथ्यों पर कोई गौर किये बिना ही बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत किया है। ऐसी स्थिति में, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव आदेश व डिक्री खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी की अपील को स्वीकार किया जाकर सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के अभियान—2021 द्वारा स्वीकृत कृषि भूमि आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांक/राजस्व/प्र.गां.सं./2021/15 दिनांक 10—11—2021 को निरस्त किया जावे। जबकि प्रत्यर्थी संख्या 9, 15 व 16 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुरी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी व प्रत्यर्थीगण सभी ने प्रशासन गांव के संग अभियान—2021 के शिविर में लोक अदालत की भावना से आपसी सहमति से राजीखुशी सहमत होकर हक हिस्से अनुरुप आपसी सहमति से बंटवाड़ प्रस्ताव तैयार करवाकर अपने—अपने हस्ताक्षर/अंगुठा निशानी से निष्पादित कर आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव दस्तावेज तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत किये एवं सभी खातेदारों/पक्षकारान ने तहसीलदार, शिवगंज के समक्ष उपस्थित होकर उक्त बंटवाड़ प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी सहमति दी। उसके बाद तहसीलदार, शिवगंज ने उक्त बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकार करके डिक्री पारित की जाकर बंटवाड़ अनुसार राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज करने हेतु आदेश पारित किया गया है एवं पटवारी हल्का को राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु निर्देशित किया गया। जिसकी पालना में बंटवाड प्रस्ताव अनुसार पटवारी हल्का द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया गया है। विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व पटवारी हल्का द्वारा मौके पर आकर सभी खातेदारों की सहमति से कृषि भूमि का बंटवाडा करके बंटवाड प्रस्ताव तैयार करवाये गये है, जिसमें अपीलार्थी या अन्य खातेदार का हिस्सा कम नही हुआ है। सभी खातेदारों द्वारा बंटवाड प्रस्ताव आपसी सहमति से तैयार करवाकर निष्पादित किया गया है, इस कारण अपीलार्थी का यह कथन कि उसे सुनवाई का कोई मौका नहीं दिया गया, जो मानने योग्य नहीं है। अपीलार्थी को शुरू से ही बंटवाडे की जानकारी है उसके बावजूद भी जानबूझकर अपील देरी से पेश की है। अतः अपीलार्थी की अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण खारिज की जावे। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि उक्त कृषि भूमि के विभाजन प्रस्ताव प्रशासन गांव के संग अभियान के शिविर में तहसीलदार, शिवगंज को प्रस्तुत किये, जो तहसीलदार, शिवगंज द्वारा दिनांक 10—11—2021 को स्वीकृत किये गये है। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने प्रत्यर्थी संख्या 9, 15 व 16 के

.......पेज चार पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

कथनों के जबाव में यह व्यक्त किया कि अपीलार्थी द्वारा भूमि के बंटवाड की कभी भी सहमति नही दी गई है एवं बंटवाड प्रस्ताव अपीलार्थी की अनुपस्थिति में अपीलार्थी को सूचना दिये बिना ही स्वीकृत किये गये है। जिसके विरुद्ध अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने के कारण अपीलार्थी ने अपील के साथ साथ धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया था, जो इस न्यायालय द्वारा बाद सुनवाई स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कन्डोन किया जाकर अपील को अन्दर मियाद लिया गया है।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 के द्वारा ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का पालडी एम. के खाता संख्या 385 खसरा संख्या 26 रकबा 48–00 बीघा किस्म ब.Iचा., चाही 2 व पडत–II, खसरा संख्या 27 रकबा 0–15 बीघा किस्म वाडा व खसरा संख्या 28 रकबा 0–10 बीघा किस्म गै.मु. वेरा कुल किता 3 रकबा 49 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी भूमि के आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव, दिनांक 10–11–2021 को स्वीकृत किये गये है, जिसके बंडवाड स्वीकृति आदेश क्रमांक / राजस्व / प्र.गां.सं / 2021 / 15 दिनांक 10–11–2021 है। सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान–2021 के द्वारा स्वीकृत उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव क्रमांक / राजस्व / प्र.गां.सं. / 2021 / 15 दिनांक 10–11–2021 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने से अपीलार्थी द्वारा उक्त विलम्ब की अवधि को कन्डोन कराने हेतु भारतीय परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रत्यर्थीगण के विरुद्ध प्रार्थना पत्र भी अपील के साथ साथ अलग से प्रस्तुत किया गया, जो इस न्यायालय में मियाद प्रार्थना पत्र संख्याः 46 / 2022 पर दर्ज रजिस्टर होकर बाद सुनवाई इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश / निर्णय दिनांक 30–6–2025 के द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 5 भारतीय परिसीमा अधिनियम को स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को कन्डोन किया गया है, इसलिये इस अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि ग्राम पालडी एम, पटवार हल्का पालडी एम के खाता संख्या 385 खसरा संख्या 26 रकबा 48–00 बीघा किस्म ब.Iचा., चाही 2 व पडत–II, खसरा संख्या 27 रकबा 0–15 बीघा किस्म वाडा व खसरा संख्या 28 रकबा 0–10 बीघा किस्म गै.मु. वेरा कुल किता 3 रकबा 49 बीघा 5 बिस्वा संयुक्त खातेदारी भूमि के सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 द्वारा स्वीकृत उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव व नक्शा ट्रेश पर सह खातेदार अपीलार्थी छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मण सिंह जी राजपुत के हस्ताक्षर किये हुए नही है तथा उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर भी सह खातेदार अपीलार्थी छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी राजपुत के हस्ताक्षर किये हुये नही है। इससे यह स्पष्ट है कि सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 द्वारा उक्त कृषि भूमि की सह खातेदार अपीलार्थी छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी राजपुत की सहमति के बिना ही उक्त आपसी सहमति बंडवाड प्रस्ताव स्वीकृत किये गये है एवं उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत करने से पूर्व सह खातेदार छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी राजपुत को कोई सूचना नही दी गई है तथा न ही उसे सुनवाई का अवसर दिया है। यह उल्लेखनीय है कि संयुक्त खातेदारी कृषि भूमि के आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को सभी सह खातेदारों की सहमति के आधार पर ही

.....पेज पांच पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *

तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किया जा सकता है, लेकिन इस प्रकरण में सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 द्वारा उक्त खातेदारी भूमि की सह खातेदार छगनकुंवर पुत्री लक्ष्मणसिंह जी राजपुत की सहमति के बिना ही आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया है, जो विधि विरुद्ध है। इसके अलावा, उक्त आपसी सहमति के स्वीकृत बंटवाड प्रस्ताव में उक्त खसरा संख्या 28 रकबा 0–10 बीघा किस्म गै.मु. वेरा की भूमि का पूरा हिस्सा खातेदार सणगी देवी पत्नी हेमाराम कुम्हार व हेमाराम पुत्र धरमाराम कुम्हार (प्रत्यर्थी संख्या 15 व 16) के हिस्से में रखा गया है, जबकि शामलाती वेरा की भूमि पर सभी सह खातेदारों को उनके हक हिस्से अनुसार समान रुप से हक अधिकार प्राप्त होते है एवं गै.मु. वेरा की भूमि को सभी सह खातेदारों के मध्य उनके हक हिस्से अनुसार शामलाती रखी जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में, अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 द्वारा स्वीकृत उक्त आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव को निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत अपील अपीलार्थी, अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरुद्ध प्रत्यर्थीगण स्वीकार की जाकर सहायक प्रभारी अधिकारी (तहसीलदार, शिवगंज), प्रशासन गांव के संग अभियान– 2021 द्वारा ग्राम पालडी एम., पटवार हल्का पालडी एम. के खाता संख्या 385 खसरा संख्या 26 रकबा 48–00 बीघा किस्म ब.Iचा., चाही 2 व पडत–II, खसरा संख्या 27 रकबा 0–15 बीघा किस्म वाडा व खसरा संख्या 28 रकबा 0–10 बीघा किस्म गै.मु. वेरा कुल किता 3 रकबा 49 बीघा 5 बिस्वा खातेदारी भूमि के स्वीकृत आपसी सहमति बंटवाड प्रस्ताव, आदेश क्रमांक/राजस्व/प्र.गां.सं./2021/15 दिनांक 10–11–2021 को निरस्त किया जाता है। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 31 अक्टूम्बर, 2025 को सर–ए–ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही *